भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

**पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./09/71/2018/एफ.सी.** **दिनांकः As per e-sign**

सेवा में,

**अपर मुख्य सचिव (वन),**
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

**विषयः- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एडवैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 0.157 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज नवीनीकरण हेतु।**

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 4014/FP/UK/Others/9959/2015 देहरादून: दिनांक 15.06.2018 तथा 920/12-1 देहरादून दिनांक 10.09.2024.

**महोदय,**

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 15.06.2018 तथा 10.09.2024 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत लीज नवीनीकरण हेतु स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8 बी/यू.सी.पी./09/137/2009/एफ.सी./880 दिनांक-23.10.2009 द्वारा प्रस्ताव में 05 वर्षों के लिए लीज अनुमति प्रदान की गयी थी । उक्त लीज के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 15.06.2018 द्वारा अतिरिक्त 30 वर्षों की लीज अनुमति का प्रस्ताव प्रपट हुआ था। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल में एडवैन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 0.157 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज नवीनीकरण (w.e.f 2015 की **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. Demarcation of the proposed forest area shall be carried out by erecting cement concrete pillars duly numbered at an interval of 20mts. connected with barbed wire fencing at the cost of user agency.
3. Additional amount of the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land if any, becoming due after revision of the same by the Hon'ble Supreme Court of India in future, shall be charged by the State Government from the user agency.
4. The User Agency will only have right of way on the roads and the approach road be availaible for use of the Forest Department or any other person/firm authorized by the Forest Department.
5. A draft Memorandum of Understanding or draft lease deed to be signed between the user agency and the State Government shall be prepared along with the details of lease rent, if applicable.

6. The total forest area utilized for the project shall not exceed 0.157 ha.
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि में पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।
9. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
10. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त। एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना उपरोक्त किसी भी शर्तो में किस भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

    उपरोक्त शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

**This bears the approval of competent authority.**

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 20-09-2024 17:11:21

**(नीलिमा शाह, भा०व०से०)**
**सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, लैन्सडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार।
4. आदेश पत्रावली।